न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 952/2024

अनवान : –

1. भंवर खां पुत्र सतार खां जाति मुसलमान दमामी निवासी मन्दरपुरा हाल रावतसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. दुर्गाराम जरिये पुजारी श्री श्याम बाबा मन्दिर मन्दरपुरा साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**

निर्णय दिनांकः 10/12/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 362/356 के ख0न0 700/3 की 2.2760 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण की भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 362/356 के ख0न0 700/3 की 2.2760 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी स0 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया। [illegible] पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया। वादी [illegible] समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। [illegible] किया जाकर [illegible]दार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:16:45 IST
Reason: SelfAttested

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 362/356 के ख0न0 700/3 की 2.2760 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. भंवर खां पुत्र सतार खां हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान दमामी सा0 मन्दरपुरा हाल रावतसर खातेदार– ख0न0 700/3/1 का कुल रकबा 0.253 हैक्ट बारानी प्रथम
2. मन्दिर श्री श्याम बाबा 0000 हिस्सा पूर्ण खातेदार–ख0न0 700/3/2 कुल रकबा 2.0230 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 10/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:16:45 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 952/2024

अनवान : –

1. भंवर खां पुत्र सतार खां जाति मुसलमान दमामी निवासी मन्दरपुरा हाल रावतसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. दुर्गाराम जरिये पुजारी श्री श्याम बाबा मन्दिर मन्दरपुरा साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 952 सन 2024 निर्णय दिनांक 10/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 362/356 के ख0न0 700/3 की 2.2760 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. भंवर खां पुत्र सतार खां हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान दमामी सा0 मन्दरपुरा हाल रावतसर खातेदार– ख0न0 700/3/1 का कुल रकबा 0.253 हैक्ट बारानी प्रथम
2. मन्दिर श्री श्याम बाबा 0000 हिस्सा पूर्ण खातेदार–ख0न0 700/3/2 कुल रकबा 2.0230 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक ..10/12/25...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:16:45 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर